<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–213/2012</u>

CIS NO. TS 232/2018

अरून्ती देवी.....वादिनी

बनाम

शशिभूषण पाण्डेय उर्फ चन्द्र भूषण पाण्डेय.....प्रतिवादी

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
18.12.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.09.2025 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** प्रतिवादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत वाद वादी ने वादपत्र के मद सं0–02 में वर्णित भूमि पर हकियत की घोषणा करते हुए दखल कब्जा संपुष्ट कराने हेतु लाया है। वाद में प्रतिवादी उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल किये है तथा वादपत्र के कथनों को खंडन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी रहता है तथा पक्का निर्माण कर रहा है। यह कि वादी वादग्रस्त भूमि के आस पास निर्माण सामग्री रख दिये है और संभावना है कि प्रतिवादी के मकान को क्षतिग्रस्त कर नया निर्माण कर सकते है इसलिए स्थानीय जाँच आवश्यक है। प्रतिवादी कमजोर लाचार व्यक्ति है जिसका फायदा वादी उठाना चाहती है तथा वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बदलना चाहती है। न्यायालय का कर्तव्य है कि वाद लंबन के समय वादग्रस्त भूमि का सुरक्षा प्रदान करना एवं किसी तरह का अवैध निर्माण को रोकना है। वादग्रस्त भूमि न्यायालय से 01 किमी0 के अंदर है। प्रतिवादी अधिवक्ता आयुक्त का शुल्क वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विवादित स्थल की जाँच हेतु अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर आवेदन में वर्णित तथ्यों के	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–213/2012</u>

CIS NO. TS 232/2018

अरून्ती देवी.....वादिनी

बनाम

शशिभूषण पाण्डेय उर्फ चन्द्र भूषण पाण्डेय.....प्रतिवादी

लगातार 18.12.2025	आलोक में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन मांगने की कृपा करें। इसके लिए प्रतिवादी श्रीमान् का सदैव आभारी रहेगा। वादिनी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 20.11.2025 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन तथ्य एवं कानून की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वाद में वादिनी की ओर से अंतिम बहस प्रारंभ होने के पश्चात् प्रतिवादी की ओर से स्थानीय निरीक्षण कराने वास्ते आवेदन दाखिल किया गया है क्योंकि प्रतिवादी वाद के निष्पादन में विलंब करना चाहते है और दाखिल आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी साक्ष्य एकत्रित करना चाहते है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी पक्षकार हेतु साक्ष्य संग्रह करने एवं कराने हेतु स्थानीय निरीक्षण का आवेदन स्वीकृत नहीं कर सकता है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन में वादग्रस्त भूमि का खाता, खेसरा, चौहद्दी नहीं देने के अभाव में आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन को विशेष खर्चे के साथ खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों की गवाही हो चुकी है तथा वाद में वादिनी का आंशिक बहस भी सुन लिया गया है। वाद जो निष्पादन के अंतिम चरण में है। चुँकि प्रस्तुत वाद वर्तमान में बहस पर चला आ रहा है तथा वाद निस्तारण के	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–213/2012

CIS NO. TS 232/2018

अरून्ती देवी.....वादिनी

बनाम

शशिभूषण पाण्डेय उर्फ चन्द्र भूषण पाण्डेय.....प्रतिवादी

लगातार 18.12.2025	निकट है तथा नियमन :– **प्रीतम सिंह बनाम सुन्दर लाल, 1990 O (सुप्रीम) (पंजाब एवं हरियाणा) 265 में माननीय उच्च न्यायालय** के अनुसार वाद जो निस्पादन के अंतिम चरण में है इस अवस्था में आवेदन को स्वीकृत करना साक्ष्य को फिर से शुरू करने का प्रयास होगा। **रामाकांत पटनायक बनाम सुरेश चन्द्र साहू 2016 O (सुप्रीम) (उड़िसा) 435 में माननीय उच्च न्यायालय ने** यह निर्धारित किया है कि वाद के निष्पादन के अंतिम चरण में आवेदन आदेश 26 निमय 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दाखिल करने का तात्पर्य है कि लापरवाही/कमी को छिपाने और सबूत एकत्रित करने के लिए न्यायालय का सहारा लेना है। उपरोक्त के आलोक में आवेदन को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन दिनांक 04.09.2025 को खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 05.01.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मंसिफ नरकटियागंज	